39265/2021

File No.PRD/5/6/0014/2021-IT-PRS

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल

(Telephone 0755-2557727, Fax - 0755-2552899)

(E-mail adress : dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/सी.एम.हेल्पलाईन/2021/ भोपाल, दिनांक 17/07/2021

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय - 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रशासनिक मद से स्वामित्व योजना अंतर्गत व्यय के संबंध में।

-o-

स्वामित्व योजनांतर्गत ग्राम का ड्रोन द्वारा सर्वे के दौरान मार्किंग हेतु चूना, रस्सी आदि सामग्री का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्वामित्व योजना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजना है। निर्धारित समय-सारणी अनुसार उक्त सर्वे का कार्य पूर्ण करने में पंचायत विभाग को सौंपे गये दायित्व की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

सर्वे कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे - चूना एवं रस्सी आदि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा प्रति ग्राम अधिकतम राशि रूपये 5000/- तथा आबादी अभिलेख तैयार करने दावे आपत्ति आमंत्रित कर निराकरण करना संशोधित अभिलेखों के प्रकाशन आदि हेतु प्रति ग्राम अधिकतम राशि रूपये 7500/- उनकी स्वयं की अर्जित आय, राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदान मूलभूत मद की राशि अथवा 15 वां वित्त आयोग अंतर्गत अनटाईड मद से सप्लीमेन्ट्री (पूरक प्लान) कार्ययोजना तैयार कर व्यय किया जावे।

Babu Singh Jamod
Director
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.।

पृ.क्रमांक/प.रा./सी.एम.हेल्पलाईन/2021/ भोपाल, दिनांक 17/07/2021

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रा. विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की ओर सूचनार्थ।